दिनांक: 05.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ 01 शातिर गौकश/हिस्ट्रीशीटर/पशुचोरी में वांछित अभियुक्त घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/03 खोखा कारतूस 315 बोर, गौकशी के उपकरण व 01 सैन्ट्रो कार बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की धरपकड हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 04.01.2025 की रात्रि को थाना प्रभारी चिलकाना मय पुलिस टीम के साथ ग्राम दूमझेडा पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे तभी ग्राम घोडा पिपली कच्चा रोड की तरफ से एक संदिग्ध कार आती दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा कार को टार्च की रोशनी दिखाकर रूकने का ईशारा किया गया। कार सवार युवक फायर करके तुरंत कार को पीछे मोड़कर भागने लगे तभी पुलिस टीम द्वारा उक्त कार का पीछा किया गया तथा कुछ दुरी पर जाकर कार का टायर फटने के कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रुक गयी। कार में सवार बदमाश कार से उतरकर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर जंगल की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के बायें पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा 02 अन्य बदमाश कोहरे व घने जंगल का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये। फरार बदमाश की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान **इस्तकार उर्फ तारा पुत्र युनुस कुरैशी निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** के रुप मे हुई है। **अभियुक्त इस्तकार उर्फ तारा थाना फतेहपुर का प्रचलित हिस्ट्रीशीटर है एंव पशु चोरी से सम्बन्धित थाना कोतवाली देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 448/2024 धारा 303(2) बीएनएस का वांछित अभियुक्त है।** घायल बदमाश को ईलाज हेतू अस्पताल मे भर्ती कराया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा/ 03 खोखा कारतूस 315 बोर, 01 मोबाइल फोन, 1150/- रुपये नकद, गौकशी के उपकरण (कुल्हाडी, दाव, लकडी का गुटका, रस्सी आदि) व 01 सैन्ट्रो कार बरामद हुई। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0- 03/25 धारा 109(1) बी0एन0एस0 व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार **अभियुक्त के विरुद्ध जनपद व गैर राज्यों के विभिन्न थानों पर गौकशी, नकबजनी, चोरी, पशु चोरी, गैंगस्टर अधिनियम व अवैध अस्लाह रखने जैसे गंभीर अपराधों के डेढ दर्जन से अधिक मकुदमें दर्ज है।** गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि करीब दो-ढाई महीने पहले मैने व मेरे दो अन्य साथियों ने मिलकर रात्रि में ग्राम मुल्लापुर कदीम से एक व्यक्ति के घर के बाहर बंधी भैंस को चोरी किया था जिस भैंस को हमने काटकर उसके मांस को 20000 रुपये मे बेच दिया था तथा पैसों को आपस मे बांट लिया था। आज भी हम तीनो किसी आवारा पशु/गौवंश को चोरी करने के इरादे से तलाश मे निकले थे कि अचानक सामने पुलिस को देखकर अपने आपको पुलिस से पकडे जाने के डर से पुलिस टीम पर फायरिंग करते हुए कार को वापस घोडोपीपली की तरफ भागे थे ऊबड खाबड रास्ता होने के कारण टायर फट गया था जिससे कार डिसबैलेंस हो गयी तथा रुक गयी थी। पुलिस से पकडे जाने के डर से मैने व मेरे साथियो ने पुलिस पर जान से

मारने की नीयत से फायरिंग की और जब पुलिस ने जब गोली चलाई तो पुलिस की गोली मेरे पैर में लग गई और पुलिस द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इस्तकार उर्फ तारा पुत्र युनूस कुरैशी निवासी ग्राम गंदेवडा थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 03 खोखा कारतूस 315 बोर (घटनास्थल से बरामद)
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 01 कार सैन्ट्रो रजिस्ट्रेशन न0 HR05N2403 (रंग सिल्वर)
- 01 मोबाइल फोन ओपो कम्पनी
- 1150/- रूपये नकद
- गौकशी के उपकरण (01 कुल्हाडी ,01 दाव, 01 छोटी छुरी, 01 लकडी का गुटका व 04 रस्सी के टुकडे व 02 प्लास्टिक के कट्टे)

अभियुक्त इस्तकार उर्फ तारा का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0—05/2013 धारा—36/11(1)उत्तराखण्ड सीएस एक्ट उत्तराखण्ड
2. मु0अ0सं0—90/2013 धारा—3/5/8 सीएस एक्ट थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0सं0—98/2014 धारा—3/5 सीएस एक्ट व थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0सं0—20/2016 धारा— 41/102 द0प्र0स0 व 414 भादवि थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0सं0—86/2017 धारा— 3/5 सीएस एक्ट व 3/11 पशु क्रुरता एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
6. मु0अ0सं0—119/2017 धारा—379 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
7. मु0अ0सं0—574/2018 धारा— 41 द0प्र0स0 थाना सदरबाजार सहारनपुर
8. मु0अ0सं0—140/2019 धारा—307 भादवि थाना फतेहपुर सहारनपुर
9. मु0अ0सं0—141/2019 धारा— 3/5 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
10. मु0अ0सं0—509/2019 धारा— 307/34 भादवि थाना देवबंद सहारनपुर
11. मु0अ0सं0—218/2020 धारा— 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
12. मु0अ0सं0—255/2020 धारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
13. मु0अ0सं0—521/2020 धारा— 380,411 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
14. मु0अ0स0—09/2021 धारा—380 भादवि थाना बिहारीगढ सहारनपुर
15. मु0अ0सं0—30/2021 धारा—307 भादवि व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
16. मु0अ0सं0—275/2022 धारा—10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर
17. मु0अ0सं0—191/2023 धारा— 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर स0पुर
18. मु0अ0सं0—293/2023 धारा— 3/5ए/8 सीएस एक्ट थाना कोत0 देहात जनपद सहारनपुर
19. मु0अ0सं0—196/2024 धारा— 3/5ए/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रुरता एक्ट थाना को0देहात सहारनपुर
20. मु0अ0स0- 448/2024 धारा- 303(2) बीएनएस थाना को0देहात जनपद सहारनपुर
21. मु0अ0स0 – 03/2025 धारा – 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधि0 थाना चिलकाना स0पुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक कपिल देव थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 नरेश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 378 तरूण तौमर थाना चिलकाना सहारनपुर।
5. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
6. का0 1759 सावन तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 05.01.2025

-प्रेस नोट-

<u>वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश</u>

<u>थाना नकुड़ पुलिस द्वारा छेड़छाड़ के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार</u>

अवगत कराना है कि दिनांक 24.11.2024 को वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना नकुड़ पर मु0अ0सं0 411/24 धारा 78/79/74/77/352/351(3) बीएनएस व 67(ए) आईटी एक्ट बनाम कविन्द्र पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड जनपद सहारनपुर पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 05.01.25 को थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **कविन्द्र पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड जनपद सहारनपुर** को ग्राम नसरुल्लागढ़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

कविन्द्र पुत्र बचन सिंह निवासी ग्राम नसरूल्लागढ़ थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

<u>अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थान नकुड़ जनपद सहारनपुर।
2. निरी0 श्री सिराजुद्दीन थान नकुड़ जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 558 सन्दीप चौहान थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 05.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा “ऑपरेशन क्लीन” के अन्तर्गत माल मुकदमाती कुल 15 लावारिश दो पहिया वाहनों की नीलामी कराकर, कुल 2,12,400/- रुपये (जीएसटी सहित) का राजस्व प्राप्त किया गया

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में मालो के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे **"ऑपरेशन क्लीन"** अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर दितीय के कुशल नेतृत्व में एवं उपजिलाधिकारी सदर श्री अंकुर वर्मा, श्री अनिल कुमार सैनी निरीक्षक टेक्निकल (आर0टी0ओ0 कार्यालय) सहारनपुर व प्रभारी निरीक्षक श्री सूबेसिंह थाना सदर बाजार की मौजूदगी में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाना सदर बाजार परिसर में वर्ष 2023 से खड़े कुल 15 लावारिश वाहनों जिनकी आरटीओं कार्यालय द्वारा मूल्यांकन धनराशि 48000/- रुपये निर्धारित की गई। कार्यक्रम अनुसार थाना सदर बाजार परिसर में नीलामी करायी गई। जिसमें कुल 61 बोली दाताओं द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली लगायी गई। **बोली दाता श्री नौशाद अली पुत्र कालूखा निवासी ननौता जिला सहारनपुर द्वारा उच्चतम बोली 1,80,000/- रुपये लगायी गयी।** उच्चतम बोली दाता के हक में नीलामी छोड़ी गयी। कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 के साथ कुल धनराशि 2,12,400/-रू0 राज कोष मे जमा की जायेगी।

नीलामी हुए वाहनों का विवरण:-

- 15 वाहन – दो पहिया

नीलामी कराने वाली टीम का विवरण:-

1. श्री अकुंर वर्मा उपजिलाधिकारी सदर सहारनपुर
2. श्री मुनीषचन्द क्षेत्राधिकारी नगर दित्तीय सहारनपुर
3. श्री अनिल कुमार सैनी निरीक्षक टैक्निकल आर0टी0ओ0 कार्यालय सहारनपुर
4. श्री सूबेसिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार सहारनपुर
5. हैड मोहर्रिर 493 कालूराम थाना सदर बाजार सहारनपुर
6. हैड का0 811 प्रवीण तोमर थाना सदर बाजार सहारनपुर
7. का0 2009 दीपक कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
8. का0 252 नरेन्द्र कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक 05.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा नकबजनी की घटना का मात्र 02 घण्टे में सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1846/- रुपये नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 04.01.2025 को वादी श्री शिवकुमार पुत्र श्री सकुन शाह निवासी विष्णुपुरी कॉलोनी गलीरा रोड सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के मौहल्ले विष्णुपुरी कॉलोनी गलीरा रोड सहारनपुर मे स्थित मंदिर के गेट का ताला तोडकर मंदिर मे स्थित दान पात्र से (ताला तोडकर) पन्द्रह से बीस हजार रुपये चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 005/25 धारा 331(4)/305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2024 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा चैकिंग /गश्त के दैरान अभि0 **आशू पुत्र मोहन नि0 वेद विहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को नवादा रोड सनसाईन स्कूल के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे कुल 1846/- रुपये नकद (1226/- रु0 रेजगारी व 620/-रु0 नोट) बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2), BNS बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 04.01.2025 को रात्रि मे विष्णुपुरी कालोनी गलीरा रोड के गोमुखी मंदिर से मैने व मेरे एक अन्य दोस्त ने मिलकर मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर के दान पात्र से रुपये चोरी किए थे जिसमें 2600 रुपये की रेजगारी थी तथा 9000 रुपये के नोट थे । नोट व सिक्के हम दोनो ने आपस मे बांट लिए थे। नोटों मे से मेरे हिस्से मे 4500 रुपये व रेजगारी में से करीब 1200 रुपये की रेजगारी आयी थी । इन रेजगारी को मै आज नोट मे बदलने के लिए जा रहा था परन्तु आपने मुझे पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आशू पुत्र मोहन नि0 वेद विहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 1846/- रुपये नकद

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 449/2019 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
2. है0का0-714 नितिन तोमर थाना सदर बाजार स0पुर
3. का0 2011 अजय कुमार थाना सदर बाजार स0पुर
4. का0 240 सोनू थाना सदर बाजार स0पुर

दिनांक 05.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा स्टोन क्रेशर में हुई डकैती की घटना में शामिल 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाइल फोन व 1200/- रु0 नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.12.2024 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र स्व0 श्री राजपाल सिंह निवासी ग्राम सुन्दरपुर थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 13/14.12.2024 की रात्रि में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी को बन्धक बनाकर श्रीराम स्टोन क्रेशर से स्टार्टर, चेन्जओवर में से ताँबे का सामान व इन्वर्टर बैटरा एवं वादी का सैमसंग कम्पनी का मोबाइल फोन लूट ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 164/2024 धारा 309(4) बीएनएस के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में लूट की धारा 309(4) का पूर्व में विलोप कर डकैती की धारा 310(2), 317(3) बीएनएस वृद्धि की गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वाछिंत अभियुक्त **शराफत पुत्र लियाकत निवासी तेलपुरा थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड** को गणेशपुर से बंजारा वाला जाने वाले तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त घटना में लूटा गया समान बेचकर प्राप्त रुपयो से खरीदा गया 01 मोबाइल फोन रियल मी कम्पनी टच स्क्रीन व 1200 रुपये बरामद हुये। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

शराफत पुत्र लियाकत निवासी तेलपुरा थाना बुग्गावाला जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामदगी का विवरणः–

- 01 मोबाईल फोन रियल मि कम्पनी टच स्क्रीन
- 1200/- रुपये नकद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–

1. उ0नि0 श्री विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुखवीर सिंह थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
3. का0 2331 लवलेश राठी थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
4. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 05.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 130 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध मादक/नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2025 को चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के दौरान थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **फैजान उर्फ रजा पुत्र अयुब उर्फ जमशेद निवासी वर्तमान पता आयशा मस्जिद के पास, मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को पानी की टंकी के सामने खाली पडे मैदान से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 130 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 11/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

फैजान उर्फ रजा पुत्र अयुब उर्फ जमशेद निवासी आयशा मस्जिद के पास, मानकमऊ थाना कुतुबशेर, सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 130 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार अभियुक्त काआपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0- 066/16 धारा 13 जूआ अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0-511/20 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. का0 500 विकल सोम थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः- 05.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 05.01.2024 को वादी सिकन्दर आजम पुत्र मौ0 अयूब निवासी निकट मीम वाली मस्जिद गणपत सराय थाना कोतवाली मंडी द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साईकिल हीरो एचएफ डीलक्स को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना मंडी पर मु0अ0स0- 010/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त वाहन चोरी की घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल चोरी गये वाहन की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2025 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यावही करते हुए 01 वाहन चोर अभियुक्त **शोएब पुत्र जमशेद निवासी धलापड़ा थाना सरसावा हाल पता मदर फातमा स्कूल वाली गली खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर** को गाड़ो के चोक से शहादत चोंकी की तरफ वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 117(2) बीएनएस की वृद्धि की गई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शोएब पुत्र जमशेद निवासी मदर फातमा स्कूल वाली गली खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः–

- 01 मोटरसाईकिल हीरो एचएफ डीलक्स

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 ललित तोमर थाना मण्डी सहारनपुर
2. है0का0 906 विपिन राठी थाना मण्डी सहारनपुर

दिनांकः 05.01.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा वारन्टी/एनबीडब्लू **अभियुक्त परमवीर पुत्र चमनलाल निवासी मकान न0 314 बढई बस्ती रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर** को सम्बन्धित परिवाद सं0 1815/16 धारा 138 एनआई एक्ट थाना सदर बाजार मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द चालानी थाना देवबन्द मा0न्यायालय एसीजेएम देवबन्द द्वारा निर्गत एनबीडब्ल्यू में बढई बस्ती रणखण्डी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

परमवीर पुत्र चमनलाल निवासी मकान न0 314 बढई बस्ती रणखण्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
2- हे.का.338 रविन्द्र कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर
3- का0 2449 मोहित कुमार थाना देवबन्द जिला सहारनपुर

दिनांकः **05.01.2025**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारंटी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.01.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 एनबीडब्लू वारण्टी **अभियुक्त सूबे उर्फ पिन्टू पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम हिमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित वाद संख्या 3498/24 मु0अ0स0 217/19 धारा 354ख/452/323/504/506 भादवि मे ग्राम हिमामपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सूबे उर्फ पिन्टू पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम हिमामपुर थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3.उ0नि0 श्री विजेन्द्रपाल थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 05.01.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जें से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व अवैध असलहों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 05.01.2025 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा गश्त/चैकिंग के दौरान एक शातिर **अभियुक्त जुनैद पुत्र तहसीन नि0 पटनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को गाढों के चौक के पास से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ । अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 12/2025 धारा 4/25 आयुध एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

जुनैद पुत्र तहसीन नि0 पटनी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम –

1. उ0नि0 श्री ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर
2. कां0 978 विपिन कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर